कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 29.05.2026

थाना किशनपुर पुलिस द्वारा हत्या के इरादे से अपहरण व हत्या के अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक-26.05.2026 को वादी श्री उमाशंकर तिवारी पुत्र स्व0 गिरिजा शंकर तिवारी निवासी ग्राम सरौली थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीर बावत प्रर्थी का भतीजा अपने दोस्तों के साथ मौटर साइकिल पर बैठकर गया था। जो वापस नहीं घर नहीं आया जिसके संबंध में थाना किशनपुर पर गुमशुदगी दर्ज करते हुए मु0अ0सं0-144/2026 धारा 137(2) पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः- उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 29.05.2026 को थाना किशनपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आये अंकित सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र अनन्त सिंह उर्फ आनन्द सिंह निवासी ग्राम सरौली थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 140(1),103(1),238 की बढोत्तरी करते हुए। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अंकित सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र अनन्त सिंह उर्फ आनन्द सिंह निवासी ग्राम सरौली थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त स्पलेन्डर मोटर साइकिल

2. दो मोबाइल

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त अंकित द्वारा बताया गया कि मृतक आदित्य उसका मित्र था तथा दोनों साथ में रहकर नशा आदि करते थे। उक्त बात को लेकर पूर्व में मृतक के परिजनों एवं अभियुक्त पक्ष के बीच विवाद हुआ था, जिसके कारण अभियुक्त मृतक एवं उसके परिवार से रंजिश मानता था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.05.2026 को उसने अपने मोबाइल फोन से आदित्य को बुलाया तथा मोटरसाइकिल से यमुना नदी किनारे ले गया, जहाँ उसके साथ दो नाबालिग लड़के अनुज एवं प्रियांशु भी मौजूद थे। अभियुक्त ने बताया कि आदित्य को तैरना नहीं आता था। नदी में नहाने के दौरान अभियुक्त ने आदित्य को पानी में दबा दिया, जिससे उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। घटना के उपरांत अभियुक्त द्वारा मृतक के कपड़े एवं मोबाइल फोन को मौके से हटाकर पास के जंगल/पोहरा क्षेत्र में फेंक दिया गया, जिन्हें अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। साथ मौजूद नाबालिग गवाहों अनुज एवं प्रियांशु द्वारा पूछताछ में घटना की पुष्टि की गई तथा बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उन्हें घटना के संबंध में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके कारण उन्होंने प्रारंभ में घटना की जानकारी किसी को नहीं दी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक बच्चेलाल प्रसाद थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर
2.उ0नि0 जीतेन्द्र दूबे
3.उ0नि0 भुवनेश्वर यादव
4.उ0नि0 तहसीलदार तिवारी
5.का0 राकेश कुमार
6.रि0का0 आदर्श सिंह

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर